भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1661

13 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

पी.डी.एस. की विशेषताएं

1661. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पी.डी.एस के तहत राज्य-वार खाद्यान्न के आवंटन के संबंध में सरकार के पास कोई डाटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की पी.डी.एस के तहत राज्यों को खाद्यान्न आवंटन बढ़ाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) इस योजना के तहत महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या श्रीअन्न को पी.डी.एस. के तहत अपनाने को बढ़ावा देने हेतु सरकार की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस योजना के तहत लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और देश में इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) क्या सरकार देश में पी.डी.एस. और भंडारण क्षेत्र में सुधार लाने की कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) द्वारा 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की कवरेज को खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। पात्र परिवारों में प्राथमिकता वाले

.....2/-

परिवार (पीएचएच) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार शामिल हैं। प्राथमिकता वाले परिवार 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, दिसंबर, 2022 तक सब्सिडीयुक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान किए गए थे। तथापि, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी, 2023 से पात्र लाभार्थियों को इस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और गरीबों की खाद्यान्नों तक पहुंच, वहनीयता व उपलब्धता को सुदृढ़ करने हेतु तथा राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना वाले (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता श्रेणी वाले (पीएचएच) परिवारों) को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 11.80 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए नि:शुल्क खाद्यान्नों का प्रावधान सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। नि:शुल्क खाद्यान्नों के प्रावधान से समाज के प्रभावित वर्ग की आर्थिक कठिनाई कम होगी और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण रणनीति सुनिश्चित होगी जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी समावेशन सुनिश्चित होगा।

(ख) से (घ): पिछले तीन वर्षों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। विभिन्न कारणों से राशन कार्डों में नाम जोड़ने/हटाए जाने से खाद्यान्नों की मासिक आवंटित मात्रा में वृद्धि/कमी होती रहती है।

(ङ): भारत सरकार द्वारा सभी एनएफएसए राशनकार्ड धारकों को मासिक वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के साथ-साथ वर्तमान वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए खाद्यान्नों के आवंटन और उठान का ब्यौरा अनुबंध-।। में दिया गया है।

.....3/-

(च): भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय खपत को ध्यान में रखते हुए और इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद करें और उन्हें लाभार्थियों को वितरित करें। इस विभाग द्वारा लगभग प्रत्येक वर्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से राज्य में मोटे अनाज/मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद/खपत को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों से कदम उठाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। भारत सरकार ने मिलेट्स (श्री अन्न) को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के फील्ड कार्यालयों ने मिलेट्स (श्री अन्न) जागरूकता कार्यक्रम/ प्रतियोगिता/ संगोष्ठियों आदि के आयोजन द्वारा मिलेट्स (श्री अन्न) के बारे में जागरूकता पैदा की है।

मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को किसानों से एमएसपी दर पर केंद्रीय पूल के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी तथा छः माइनर मिलेट (श्री अन्न) की खरीद करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समस्त मात्रा को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत वितरित किया जाएगा।

(छ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा निर्धारित की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या कवरेज के अनुसार किया जाता है जो वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा प्रकाशित परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी बृहत् नमूना सर्वेक्षणों के डाटा, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कवरेज के भीतर और खाद्यान्नों की पात्रता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों की पहचान पर आधारित होता है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि उपर्युक्त आधार पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए खाद्यान्नों का वार्षिक आवंटन पूर्ववर्ती सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान औसत वार्षिक उठान से कम है तो उसे संरक्षित रखा जाएगा और अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट अनुसार, राज्य को खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति वर्ष 549.26 लाख टन खाद्यान्न के लिए पात्र हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों के नाम शामिल करना/हटाना आवंटन में वृद्धि/कमी होना एक सतत प्रक्रिया है।

.....4/-

(ज): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की कार्यपद्धति में सुधार लाने के लिए, विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से वर्ष 2012 से मार्च 2020 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करने के संबंध में एक योजना कार्यान्वित की थी, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत राशन कार्डों का डिजिटीकरण, सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) तक खाद्यान्नों का ऑनलाइन आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संबंधी प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण और एनएफएसए कवरेज में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों (ईपीओएस) की संस्थापना, खाद्यान्नों की ढुलाई के दौरान लीकेज और डायवर्जन को रोकना तथा भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और अन्य कदाचारों को समाप्त करके सही प्रकार से लक्षित लाभार्थियों को पारदर्शी रूप से वितरण करना शामिल है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में निरंतर सुधारों के तहत, इस विभाग ने अप्रैल, 2018 से मार्च 2023 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएमपीडीएस) नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित की है ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू किया जा सके जिससे राशनकार्ड धारकों को भारत में किसी भी स्थान पर सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न वितरित किए जा सकें।

आईएम-पीडीएस योजना के अंतर्गत, इस विभाग ने "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना" को प्रारंभ किया था जिसके माध्यम से विभाग ने देशभर के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को लागू किया है। ओएनओआरसी योजना द्वारा एनएफएसए लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी, इलेक्ट्रोनिक प्वाइंट आफ सेल (इपीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के बाद एनएफएसए के तहत जारी किए गए अपने उसी/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी इपीओएस समर्थित उचित दर दुकान से अपनी पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय खाद्य निगम ने भंडारण क्षेत्र में सुधार करने के लिए निम्न विभिन्न पहल की हैं:

(i) कवर्ड और प्लिंथ (सीएपी) भंडारण क्षमता को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।
(ii) भारतीय गुणवत्ता परिषद से एफसीआई द्वारा वेयरहाउसों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन।
(iii) वेयरहाउस प्रचालनों का मशीनीकरण ।
(iv) पीपीपी पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण।
(v) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) प्रमाणन।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 13.12.2023 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1661 के भाग (ख) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2020-21 से आवंटित खाद्यान्न का राज्यवार विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (नवंबर, 2023 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1871.84	1871.84	1871.84	1247.90
2	अरूणाचल प्रदेश	88.99	89.00	89.00	59.33
3	असम	1694.32	1694.73	1695.13	1130.09
4	बिहार	5524.33	5527.10	5527.10	3684.73
5	छत्तीसगढ़	1384.06	1384.06	1384.06	922.70
6	दिल्ली	450.69	448.68	448.69	299.14
7	गोवा	58.17	59.04	59.04	39.36
8	गुजरात	2178.40	2175.74	2185.38	1470.90
9	हरियाणा	795.00	795.00	795.00	530.00
10	हिमाचल प्रदेश	508.02	508.02	508.02	338.68
11	झारखंड	1739.51	1724.90	1743.73	1167.02
12	कर्नाटक	2608.80	2608.82	2608.84	1739.22
13	केरल	1395.97	1425.05	1425.05	950.03
14	मध्य प्रदेश	3443.28	3165.84	3259.68	2271.48
15	महाराष्ट्र	4605.19	4605.19	4605.19	3070.13
16	मणिपुर	162.60	130.99	136.17	90.86
17	मेघालय	176.30	176.30	176.30	117.53
18	मिजोरम	65.76	65.76	65.76	43.84
19	नागालैंड	138.06	138.06	138.06	92.04
20	ओडिशा	2224.92	2244.23	2249.71	1499.80
21	पंजाब	870.12	870.12	870.12	580.08
22	राजस्थान	2788.07	2770.58	2770.58	1847.06
23	सिक्किम	44.32	44.32	44.32	29.55
24	तमिलनाडु	3677.75	3677.75	3677.75	2451.83
25	तेलंगाना	1338.00	1338.00	1338.00	892.00
26	त्रिपुरा	271.19	271.23	271.22	180.82
27	उत्तराखंड	503.00	503.00	502.99	335.33
28	उत्तर प्रदेश	9436.97	9782.05	9878.53	6619.70
29	पश्चिम बंगाल	3970.62	3970.62	3970.62	2647.08
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	29.56	29.56	29.56	19.71
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादर नगर हवेली	15.89	15.42	15.16	10.09
33	दमन और दीव				
34	जम्मू व कश्मीर	734.65	734.65	734.65	489.77
35	लद्दाख	16.43	16.43	16.43	10.95
36	लक्षद्वीप	4.62	4.62	4.62	3.08
37	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 13.12.2023 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1661 के भाग (ड.) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के साथ-साथ वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए खाद्यान्न के आवंटन और उठान का विवरण

(हजार टन में)

राज्य का नाम	धान का प्रकार	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24 (नवंबर, 2023 तक)	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
महाराष्ट्र	चावल	2021.10	1828.51	2021.10	1444.96	2792.95	1830.70	1964.88	1675.88
	गेहूं	2584.09	2159.68	2584.09	2070.68	1812.24	1762.22	1105.25	955.29
तमिलनाडु	चावल	3378.63	3236.55	3309.98	2617.74	3531.13	2929.75	2383.36	1867.31
	गेहूं	299.12	299.08	367.78	328.38	146.62	131.25	68.48	67.99

****